तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / एल.आर. / 5942 / 2024 / जयपुर(ग्रामीण)** **अर्चना बनाम ललिता रावत**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–
1– श्री योगेन्द्र सिंह व गिरीश पारीक, अभिभाषक अपीलांट।
2– रेस्पो0 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक – 30.10.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान संभागीय आयुक्त, जयपुर दिनांक 22–01–2018 अपील सं0 07/2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर ने अपने आक्षेपित निर्णय से अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बस्सी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14–06–2016 को यथावत् रखा गया है।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस अपील पर सुनी गयी।

3– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय न्याय, नियम व रिकॉर्ड होने से काबिल निरस्तनीय है। अपीलार्थीया के पिता श्री गोपाल लाल रावत द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 02–04–2012 में यह पूर्णतया स्पष्ट किया हुआ है कि उक्त भूमि वसीयतकर्ता ने स्वयं की कमाई की राशि से खरीद की है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 में स्पष्ट रूप से अंकित किया हुआ है कि जहां किसी हिन्दू पुरूष की मृत्यु र्निवसीयत की होती है वहां पर धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार विरासत तय की जाती है परन्तु श्री गोपाल लाल रावत द्वारा वसीयत अपीलार्थीया के पक्ष में की गई थी। इस कारण उनकी विरासत वसीयत के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / एल.आर. / 5942 / 2024 / जयपुर(ग्रामीण)** **अर्चना बनाम ललिता रावत**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

माध्यम से प्रार्थियां के पक्ष में अंकित की जानी विधिसम्मत् थी तथा समस्त तथ्यों को साबित करने के उपरान्त भी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इन बिन्दुओं पर कोई निष्कर्ष प्रदान किये बिना ही स्वयं के स्तर पर बिना कोई जांच किये भूमि रावत सोसायटी की होना अंकित कर जो निर्णय पारित किया है वह द्वितीय अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार की जाकर विद्वान संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22–01–2018 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों का आद्योपान्त अध्ययन व अवलोकन किया गया।

5– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान अप्रार्थीगण सं0 1 ल0 6 ने विद्वान न्यायालय तहसीलदार तहसील बस्सी जिला जयपुर में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 135(2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगणों के सुने बिना अप्रार्थी सं0 1 (वर्तमान प्रार्थियां) या अन्य किसी दीगर व्यक्ति के हक में नामान्तरकरण नहीं खोला जावें। जिस पर तहसीलदार, बस्सी ने दिनांक 14–06–2016 को निर्णय पारित किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त करे।

जिसके विरूद्ध वर्तमान प्रार्थियां ने विद्वान अपीलीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर के न्यायालय में धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अपील पेश की जो विद्वान न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा दिनांक 22–01–2016 को खारिज की गई। जिसके विरूद्ध वर्तमान प्रार्थियां द्वारा अपील मण्डल में धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश की गई।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / एल.आर. / 5942 / 2024 / जयपुर(ग्रामीण)** **अर्चना बनाम ललिता रावत**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	6– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि ग्राम कानोता के खसरा नं0 174 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा नकल जमाबन्दी सम्वत् 2066–69 में श्री जी.एल. रावत पुत्र स्व0 श्री जी.एस. रावत साकिन बदनपुरा जयपुर के नाम दर्ज है। उक्त भूमि श्री जी.एल. रावत ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 30–04–1985 को क्रय किया था। प्रार्थियां का कथन है कि उनके पिता श्री गोपाल लाल रावत ने उसके पक्ष में दिनांक 02–04–2012 को वसीयत की थी। वसीयत के क्रम में प्रार्थियां के नाम नामान्तरकरण खोला जाना विधिसम्मत् है। वही विद्वान अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बस्सी में वर्तमान अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कथन किया था कि श्री गोपाललाल रावत का दिनांक 24–04–2012 को स्वर्गवास हो चुका है तथा प्रार्थीगण श्री गोपाललाल रावत के कानूनन उत्तराधिकारी है। अतः भूमि का नामान्तरकरण उनके पक्ष में खोला जावें। 7– हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी खातेदार का स्वर्गवास होने पर उसके विधिक वारिसान के नाम विधि के प्रावधानों के अनुरूप नामान्तरकरण खोले जाने का प्रावधान है। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बस्सी द्वारा विधि के प्रावधानों के अनुरूप निर्णय पारित नहीं किया गया, केवल यह अंकित कर दिया कि भूमि का संबंध हाउसिंग सोसायटी से होने के कारण प्रार्थीगण/अप्रार्थीगण को वसीयत या वारिसान के आधार पर उक्त भूमि पर खातेदारी या हक इस न्यायालय स्तर से तय नहीं किए जा सकते। जबकि पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि श्री गोपाललाल रावत ने हाउसिंग सोसायटियां के पंजीकरण पर प्रतिबंध लग जाने के कारण रावत हाउसिंग सोसायटी का पंजीकरण करवाने का विचार त्याग दिया। विक्रय पत्र दिनांक 30–04–1985 में क्रेता जी.एल. रावत अंकित है तथा न तो सोसायटी के पंजीकरण बाबत् कोई विवरण है न कोई पंजीकरण नंबर आदि अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न लोकसूचना अधिकारी एवं	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / एल.आर. / 5942 / 2024 / जयपुर(ग्रामीण)** **अर्चना बनाम ललिता रावत**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उप राजकीय सहकारी समितियां, जयपुर शहर के पत्र क्रमांक 5043 दिनांक 13–09–2012 में अंकित है कि कार्यालय के हाउसिंग अनुभाग में रावत हाउसिंग सोसायटी का नाम अंकित नहीं है। विद्वान तहसीलदार, बस्सी ने यह जांच ही नहीं की कि विवादित आराजी के संबंध में कोई हाउसिंग सोसायटी का अस्तित्व है भी अथवा नहीं। जिससे स्पष्ट है कि विद्वान तहसीलदार का निर्णय दिनांक 14–06–2016 काबिले खारिजी होकर पुनः सुनवाई करने का मोहताज है।

8– विद्वान न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर ने भी उपरोक्त तथ्यों पर विचार नहीं करते हुए अपील खारिज कर दी जो विधिसम्मत् नहीं है जिससे विद्वान संभागीय आयुक्त, जयपुर का निर्णय दिनांक 22–01–2018 भी निरस्त किये जाने योग्य है।

9– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान संभागीय आयुक्त, जयपुर का निर्णय दिनांक 22–01–2018 तथा तहसीलदार, बस्सी का निर्णय दिनांक 14–06–2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, बस्सी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करे।

10– प्रार्थियां न्यायालय तहसीलदार, बस्सी में दिनांक 11.12.2024 को उपस्थित हो।

11– पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य